न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2647–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–7–13 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया जिला हरदा प्रकरण क्रमांक 2/अ–6/2009–10 एवं आदेश दिनांक 22–7–2014 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, हरदा प्रकरण क्रमांक 20/बी–121/2013–14.

कमलाबाई पत्नी गुलाब सिंह प्रजापति
निवासी मौजवाड़ी, तहसील हरसूद जिला खण्डवा
जरिये मुख्त्यारआम– मांगीलाल आ. देवा जी प्रजापति
निवासी छीपाबड़ तहसील खिरकिया जिला हरदा .....आवेदिका

विरूद्ध

1– गोविन्दराम आ. राधेलाल प्रजापत
2– वंशीलाल आ. श्रीकिशन प्रजापत
निवासीगण छीपाबड़
तहसील खिरकिया जिला हरदा .....अनावेदकगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदिका
श्री यशवंत साहू, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/7/15 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–13 एवं अपर कलेक्टर, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया जिला हरदा के समक्ष तहसीलदार, खिरकिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–7–09 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 7–10–09 को प्रस्तुत की गई । अपील विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–6/2009–10 दर्ज किया जाकर कार्यवाही करते हुए दिनांक 13–6–13 को अन्तरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर अपील निरस्त की गई । तदोपरान्त अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करने में उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–7–13 को अंतरिम आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आवेदन पत्र पर आदेश पारित करते समय अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । संहिता की धारा 32 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्तरिम आदेश दिनांक 13–6–13 निरस्त किया जाकर प्रकरण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर उभय पक्ष की सुनवाई हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर, हरदा के समक्ष शिकायत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 20/ब–121/2013–14 दर्ज किया जाकर दिनांक 22–7–2014 को आदेश पारित कर आवेदिका की शिकायत निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाकर शिकायत नस्तीबद्ध की गई । आवेदक द्वारा इन्हीं आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

(1) संहिता की धारा 32 के द्वारा राजस्व अधिकारियों को अन्तर्निहित शक्तियां प्रदान की गई है, जिसके अनुसार राजस्व न्यायालय स्वयं के द्वारा की गई त्रुटियों को अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर शुद्ध कर सकते हैं, किन्तु आदेश दिनांक 13–6–13 जिसमें स्पष्ट उल्लेख आया है कि उभय पक्ष के तर्क श्रवण किए साथ ही उभयपक्ष के तर्क

का विवरण भी उक्त आदेश में दिया गया है, तब राजस्व न्यायालय की उक्त आदेश दिनांक 13–6–13 पारित करने में कोई त्रुटिकारित नहीं हुई है । अनावेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में असत्य आधार लिया है कि तर्क श्रवण किये बगैर आदेश पारित किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगण के आवेदन पर से दाखिल दफ्तर किए जा चुके प्रकरण को पुनः खोलकर बगैर वरिष्ठ न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये स्वयं के द्वारा गुण–दोष पर पारित आदेश दिनांक 13–6–13 को आदेश दिनांक 16–7–13 से अपास्त करके अन्तर्निहित शक्तियों का दुरूपयोग करके अनावेदकगण को विधि विरूद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, जो घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है । ऐसे में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 16–7–13 कायम रखे जाने योग्य नहीं होने से अपास्त किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 13–6–13 गुण–दोष पर पारित किया गया होने से उसमें कोई सारवान त्रुटि नहीं होने से कायम रखा जावे ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना था कि संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रदत्त अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग मात्र लिपिकीय एवं गणीतीय त्रुटि को शुद्ध किए जाने हेतु किया जा सकता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र पर से स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन करके घोर अनियमितता की है, जबकि संहिता की धारा 51 में पुनर्विलोकन किए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय को वरिष्ठ न्यायालय से अनुमति भी प्राप्त करने का प्रावधान है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सारवान सिद्धान्तों को ताक पर रखकर विधि बाह्य तरीके से अनावेदकगण को प्रश्नाधीन आदेश से अनुचित लाभ पहुंचाया है, अतः प्रश्नाधीन आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय को यह भी देखना था कि अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग तब किया जा सकता है, जब संहिता में चाहे गए अनुतोष के लिए पृथक से कोई प्रावधान उपलब्ध न हो, किन्तु इस प्रकरण में अनावेदकगण के लिए पुनर्विलोकन, अपील एवं निगरानी किए जाने हेतु संहिता की धारा 44 (2), 50, 51 में स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध है, तब संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग इस प्रकरण में नहीं किया जा सकता था, किन्तु इस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने तनिक भी ध्यान नहीं देकर त्रुटिपूर्ण, अनियमित आदेश दिनांक 16–7–13 पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है ।

3/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

(1) आवेदिका की ओर से उक्त निगरानी कथित मुख्त्यारआम द्वारा मुख्त्यारनामा दिनांक 11–6–2013 के आधार पर प्रस्तुत की गई है । मुख्त्यार आम आवेदिका के अनपढ़ होने का सहारा लेकर न्यायालय को गुमराह दिग्भ्रमित करने की निष्फल, निरर्थक कुचेष्टा कर रहा है । कथित मुख्त्यारनामे की एक वर्ष की समयावधि समाप्त होने के कारण भी उक्त मुख्त्यार को उक्त रिवीजन प्रस्तुति का वैधानिक अधिकार न होने से भी निगरानी प्रथम दृष्टया सव्यय निरस्तनीय है ।

(2) अपर कलेक्टर ने आवेदिका को आदेश दिनांक 22–7–2014 द्वारा सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुति के निर्देश दिये है, अतः आवेदिका का परम कर्तव्य था कि वह उक्त निगरानी मूलतः अपर कलेक्टर से वापिस लेकर इस न्यायालय के समक्ष 30 दिन की निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना चाहिए थी, तब वह समयावधि के बिन्दु पर ग्राह्य की जा सकती थी । आवेदिका ने ऐसा न कर नवीन निगसनी पेश की है, जो प्रथम दृष्टया समय बाधित होने से तथा विधि की दृष्टि में द्वितीय नवीन निगरानी प्रस्तुति का वैधानिक अधिकार न होने से भी प्रथम दृष्टया समय बाधित होने से अग्राह्य किया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है ।

(3) आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष शिकायत राजस्व प्रकरण कमांक 20/बी–121/13–14 पेश की, जिसे उन्होंने कथित शिकायत असत्य, असंगत, अनर्गल होने से नस्तीबद्ध की जा चुकी है, जो पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायसंगत है ।

(4) आवेदिका कोई न कोई प्रकरण लगाकर अनावेदकगण को प्रकरणों में दूषित दुराशयपूर्वक उलझाये रखना चाहती है, इसी अनुक्रम में निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की है जो वैधानिक एवं न्यायिक प्रकिया के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया सव्यय निरस्तनीय है ।

(5) आवेदिका स्वयं की गलतियों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय पर असत्य, असंगत, अनर्गल आक्षेप लागर उनकी गरिमा पर गंभीर ठेस पहुंचाने के लिए आवेदिका का कृत्य न्यायालय के आदेश की अवज्ञा, अवमानना, अवहेलना की परिधि में आने से आवेदिका गंभीर दण्ड की पात्र है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई है। साथ में विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–6–13 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अपील निरस्त की गई है । तत्पश्चात अनावेदकगण की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर अपने आदेश दिनांक 13–6–13 को निरस्त करते हुए प्रकरण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं ठहराई जा सकती है क्योंकि पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित अपने पूर्व आदेश को संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन के माध्यम से ही निरस्त किया जा सकता है और पुनर्विलोकन हेतु वरिष्ठ न्यायालय से अनुमति ली जाना आवश्यक है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–13 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–13 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उनके द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 13–6–13 के पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिवत आदेश पारित किया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर